

रक्षा लेखा महानियंत्रक

Controller General of Defence Accounts

उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट 110010

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/19015/सरकारी आदेश/2015
No. AN/XIV/19015/Govt. Orders/2015

दिनांक 03.12.2015

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक

All PCsDA/CsDA

(र०ले०महानियंत्रक मेल सर्वर के द्वारा/Through CGDA Mail Server)


विषय: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन के लिए जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/कस्बों का पुनवर्गीकरण/स्तरोन्नयन ।

Sub: Re-classification/Upgradation of Cities/Towns on the basis of Census-2011 for the purpose of grant of House Rent Allowance (HRA) to Central Government employees-reg.

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 21.07.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं० 2/5/2014-E.II(B), जो कि रक्षा मंत्रालय (वित्त), र०ले०वि० समन्वय, की दिनांक 01.12.2015 की आईडी नोट संख्या 10(3)/C/2015(2962) के द्वारा प्राप्त, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है ।

A copy of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015, received under MOD (Fin), DAD Coord ID Note no. 10(3)/C/2015(2962) dated 01.12.2015 on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and necessary action please.


संलग्नक: यथोपरि


(अजय गोयल)

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4 ।
2. लेखा परीक्षा - 1, 2 एवं 4 (स्थानीय) ।
3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय) ।
4. ई.डी.पी. सेंटर (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी ।
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय) ।
7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14 ।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे} ।
9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु०) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फेक्ट्री) कोलकाता} ।


(अजय गोयल)

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

सं. 2/5/2014-ई.॥(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

कार्यालय जापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन के लिए जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/कस्बों का पुनर्वर्गीकरण/स्तरोन्नयन।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में, इस विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का. जा. सं. 2(13)/2008-ई.॥(बी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए 'एक्स', 'वाई' और 'जेड' के रूप में वर्गीकृत शहरों/कस्बों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न की गई थी। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए जनगणना - 2011 के आधार पर शहरों/कस्बों के पुनर्वर्गीकरण से संबंधित मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है।

2. राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए शहरों/कस्बों के वर्गीकरण से संबंधित सभी विद्यमान आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु शहरों/कस्बों को अब 'एक्स', 'वाई' और 'जेड' के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा जैसा कि इन आदेशों के अनुबंध में गणना की गई है।


3. 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, कतिपय शहरों/कस्बों को इस विभाग के दिनांक 03.10.97 के का. जा. सं. 2(30)/97-ई.॥(बी) के तहत मकान किराया भत्ते के प्रयोजन के लिए उनके विद्यमान वर्गीकरण की तुलना में निचले वर्गीकरण में रखा गया था। तथापि, इन शहरों/कस्बों को उनके विद्यमान उच्चतर वर्गीकरण में बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, उसका पैरा 3 देखें, और दिनांक 16.03.2005 के का. जा. सं. 2(21)/ई.॥(बी)/2004 और दिनांक 07.01.2009 के का. जा. सं. 2(13)/2008-ई.॥(बी) के तहत इसे आगे बढ़ाया गया था। चूंकि, अन्य शहरों/कस्बों जिनका पिछला उच्चतर वर्गीकरण बनाए रखने की सुविधा दी गई थी, का इस दौरान स्तरोन्नयन हो गया और इस समय केवल दो शहर नामतः राजस्थान में अजमेर और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर को ही ऐसा संरक्षण प्राप्त है। जनगणना-2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर इन दो शहरों के भी स्तरोन्नयन के फलस्वरूप, इस विभाग के दिनांक 03.10.97 के का. जा. सं. 2(30)97-ई.॥(बी) के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट प्रावधान जिन्हें दिनांक 16.03.2005 और 07.01.2009 के का. जा. के तहत आगे जारी रखने की अनुमति दी गई थी, वापस ले लिए गए हैं/समाप्त कर दिए गए हैं।

4. इस विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का. जा. सं. 2(13)/2008-ई.॥(बी) के तहत केन्द्र सरकार के फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव में तैनात कर्मचारियों को दिल्ली ('एक्स' श्रेणी शहर) की दरों पर, जालंधर छावनी के लिए जालंधर ('वाई' श्रेणी शहर) की दरों पर तथा शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर के लिए 'वाई' श्रेणी शहर की दरों पर मकान किराया भत्ता जारी रखने और इस विभाग के दिनांक 04.03.2011 के का. जा. सं. 2(13)/2008-ई.॥(बी) के तहत पंचकुला के लिए चंडीगढ़ ('वाई' श्रेणी शहर) के बराबर मकान किराया भत्ता जारी रखने की अनुमति के विशेष आदेश, सरकार द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किए जाने तक लागू रहेंगे।

5. ये आदेश **1 अप्रैल, 2015** से प्रभावी होंगे।

6. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सशस्त्र बल कर्मियों और रेल कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।


(सुभाष चन्द)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भकान किराया भता प्रदान किए जाने के लिए वर्गीकृत शहरों/कस्बों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	“एक्स” के रूप में वर्गीकृत शहर	“वाई” के रूप में वर्गीकृत शहर
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-
2.	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	हैदराबाद (यूए)	विजयवाड़ा (यूए), वारंगल (यूए), ग्रेटर विशाखापटनम (नगर निगम), गुंटूर (यूए), नेल्लौर (यूए)
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
4.	असम	-	गुवाहाटी (यूए)
5.	बिहार	-	पटना (यूए)
6.	चंडीगढ़	-	चंडीगढ़ (यूए)
7.	छत्तीसगढ़	-	दुर्ग-भिलाई नगर (यूए), रायपुर (यूए)
8.	दादर और नगर हवेली	-	-
9.	दमन और दीव	-	-
10.	दिल्ली	दिल्ली (यूए)	-
11.	गोवा	-	-
12.	गुजरात	अहमदाबाद (यूए)	राजकोट (यूए), जामनगर (यूए), भावनगर (यूए), वडोदरा (यूए), सूरत (यूए)
13.	हरियाणा	-	फरीदाबाद* (नगर निगम), गुडगांव* (यूए)
14.	हिमाचल प्रदेश	-	-
15.	जम्मू और कश्मीर	-	श्रीनगर (यूए), जम्मू (यूए)
16.	झारखंड	-	जमशेदपुर (यूए), धनबाद (यूए), रांची (यूए), बोकारो स्टील सिटी (यूए)
17.	कर्नाटक	बंगलौर/बंगलूरु (यूए)	बेलगांव (यूए), हुबली-धारवाड (नगर निगम), मंगलौर (यूए), मैसूर (यूए), गुलबर्गा (यूए)
18.	केरल	-	कोजिकोड (यूए), कोच्चि (यूए), तिरुवनंतपुरम (यूए), त्रिसूर (यूए), मलप्पुरम (यूए), कन्नूर (यूए), कोल्लम (यूए)
19.	लक्षद्वीप	-	-
20.	मध्य प्रदेश	-	ग्वालियर (यूए), इंदौर (यूए), भोपाल (यूए), जबलपुर (यूए), उज्जैन (नगर निगम)

21.	महाराष्ट्र	बृहन मुंबई (यूए), पुणे (यूए)	अमरावती (नगर निगम), नागपुर (यूए), औरंगाबाद (यूए), नासिक (यूए), भिवंडी (यूए), सोलापुर (नगर निगम), कोल्हापुर (यूए), वसई-विरार सिटी (नगर निगम), मालेगांव (यूए), नांदेड-वाघला (नगर निगम), सांगली (यूए)
22.	मणिपुर	-	-
23.	मेघालय	-	-
24.	मिजोरम	-	-
25.	नगालैंड	-	-
26.	ओडीशा	-	कटक (यूए), भुवनेश्वर (यूए), राउरकेला (यूए)
27.	पुदुचेरी (पांडिचेरी)	-	पुदुचेरी/पांडिचेरी (यूए)
28.	पंजाब	-	अमृतसर (यूए), जालंधर (यूए), लुधियाना (नगर निगम)
29.	राजस्थान	-	बीकानेर (नगर निगम), जयपुर (नगर निगम), जोधपुर (यूए), कोटा (नगर निगम), अजमेर (यूए)
30.	सिक्किम	-	-
31.	तमिलनाडु	चेन्नै (यूए)	सेलम (यूए), तिरुपुर (यूए), कोयम्बटूर (यूए), तिरुचिरापल्ली (यूए), मदुरै (यूए), इरोड (यूए)
32.	त्रिपुरा	-	-
33.	उत्तर प्रदेश	-	मुरादाबाद (नगर निगम), मेरठ (यूए), गाजियाबाद* (यूए), अलीगढ़ (यूए), आगरा (यूए), बरेली (यूए), लखनऊ (यूए), कानपुर (यूए), इलाहाबाद (यूए), गोरखपुर (यूए), वाराणसी (यूए), सहारनपुर (नगर निगम), नोएडा* (सीटी), फिरोजाबाद (एनपीपी), झांसी (यूए)
34.	उत्तराखंड	-	देहरादून (यूए)
35.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (यूए)	आसनसोल (यूए), सिलीगुड़ी (यूए), दुर्गापुर (यूए)

* केवल निर्भरता के आधार पर मकान किराया भत्ता दिए जाने के प्रयोजन के लिए।

टिप्पणी

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शेष शहर/कस्बे जो "एक्स" अथवा "वाई" वर्गीकरण में शामिल नहीं किए गए हैं, को मकान किराया भत्ता प्रयोजन के लिए "जेड" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

No.2/5/2014-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, 21st July, 2015.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Re-classification/Upgradation of Cities/Towns on the basis of Census-2011 for the purpose of grant of House Rent Allowance (HRA) to Central Government employees.

Reference is invited to this Department's O.M. No. 2(13)/2008-E.II(B) dated 29.08.2008 relating to grant of House Rent Allowance (HRA) to Central Government employees on the recommendations of the 6th Central Pay Commission (CPC) whereby a list of cities/towns classified as "X", "Y" and "Z" for the purpose of grant of HRA was enclosed as Annexure. The matter relating to re-classification of cities/towns on the basis of Census-2011 for the purpose of grant of HRA to Central Government employees has been considered by the Government.

2. The President is pleased to decide that in supersession of all the existing orders relating to classification of cities/towns for the purpose of grant of HRA to Central Government employees, cities/towns shall now be re-classified as "X", "Y" and "Z" for the purpose of HRA as enumerated in the Annexure to these orders.

3. Consequent upon implementation of the recommendations of the 5th Central Pay Commission, certain cities/towns were placed in a lower classification as compared to their existing classification for HRA purpose, vide this Department's O.M. No. 2(30)/97-E.II(B) dated 03.10.97. However, these cities/towns were allowed to retain their existing higher classification, vide Para 3 thereof; and further extended vide O.M. No. 2(21)/E.II(B)/2004 dated 16.03.2005 & O.M. No. 2(13)/2008-E.II(B) dated 07.01.2009. As other cities/towns to which protection of retaining earlier higher classification was allowed, got upgraded during the intervening period and as on date only two cities i.e. Ajmer in Rajasthan and Durgapur in West Bengal were retaining such protection. Consequent upon upgradation of these two cities also on the basis of their population as per Census-2011, provisions contained in Para 3 of this Department's O.M. No. 2(30)/97-E.II(B) dated 03.10.97 which were allowed to further continue vide O.M. dated 16.03.2005 & 07.01.2009, stand withdrawn/discontinued.

4. Special orders allowing continuance of HRA at Delhi ("X" class city) rates to Central Government employees posted at Faridabad, Ghaziabad, NOIDA and Gurgaon, at Jalandhar ("Y" class city) rates to Jalandhar Cantt., at "Y" class city rates to Shillong, Goa & Port Blair vide this Department's O.M. No.2(13)/2008-E.II(B) dated 29.08.2008, and continuance of HRA at par with Chandigarh ("Y" class city) to Panchkula vide this Department's O.M. No.2(13)/2008-E.II(B) dated 04.03.2011, shall continue to be applicable till the recommendations of 7th CPC are considered by the Government.

5. These orders shall take effect from 1st April, 2015.

6. The orders will apply to all civilian employees of the Central Government. The orders will also be applicable to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.

7. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

8. Hindi version is attached.


(Subhash Chand)
Director

To

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to C&AG and U.P.S.C., etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

ANNEXURE

to O.M. No.2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015.

**LIST OF CITIES/TOWNS CLASSIFIED FOR GRANT OF
HOUSE RENT ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES**

Sl. No.	STATES/ UNION TERRITORIES	CITIES CLASSIFIED AS "X"	CITIES CLASSIFIED AS "Y"
1.	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	—	—
2.	ANDHRA PRADESH/ TELANGANA	Hyderabad (UA)	Vijayawada (UA), Warangal (UA), Greater Visakhapatnam (M.Corpn.), Guntur (UA), Nellore (UA)
3.	ARUNACHAL PRADESH	—	—
4.	ASSAM	---	Guwahati (UA)
5.	BIHAR	---	Patna (UA)
6.	CHANDIGARH	---	Chandigarh (UA)
7.	CHHATTISGARH	—	Durg-Bhilai Nagar (UA), Raipur (UA)
8.	DADRA & NAGAR HAVELI	—	—
9.	DAMAN & DIU	---	---
10.	DELHI	Delhi (UA)	
11.	GOA	---	---
12.	GUJARAT	Ahmadabad (UA)	Rajkot (UA), Jamnagar (UA), Bhavnagar (UA), Vadodara (UA), Surat (UA)
13.	HARYANA	---	Faridabad*(M.Corpn.), Gurgaon*(UA)
14.	HIMACHAL PRADESH	---	---
15.	JAMMU & KASHMIR	---	Srinagar (UA), Jammu (UA)
16.	JHARKHAND	—	Jamshedpur (UA), Dhanbad (UA), Ranchi (UA), Bokaro Steel City (UA)
17.	KARNATAKA	Bengalure/Bengaluru (UA)	Belgaum (UA), Hubli-Dharwad (M.Corpn.), Mangalore (UA), Mysore (UA), Gulbarga (UA)
18.	KERALA	—	Kozhikode (UA), Kochi (UA), Thiruvananthapuram (UA), Thrissur (UA), Malappuram (UA), Kannur (UA), Kollam (UA)
19.	LAKSHADWEEP	---	---
20.	MADHYA PRADESH	—	Gwalior (UA), Indore (UA), Bhopal (UA), Jabalpur (UA), Ujjain (M. Corpn.)

Sl. No.	STATES/ UNION TERRITORIES	CITIES CLASSIFIED AS "X"	CITIES CLASSIFIED AS "Y"
21.	MAHARASHTRA	Greater Mumbai (UA), Pune (UA)	Amravati (M.Corpn.), Nagpur (UA), Aurangabad (UA), Nashik (UA), Bhiwandi (UA), Solapur (M.Corpn.), Kolhapur (UA), Vasai-Virar City (M. Corpn.), Malegaon (UA), Nanded-Waghala (M. Corpn.), Sangli (UA)
22.	MANIPUR	---	---
23.	MEGHALAYA	---	---
24.	MIZORAM	---	---
25.	NAGALAND	---	---
26.	ODISHA	---	Cuttack (UA), Bhubaneswar (UA), Raurkela (UA)
27.	PUDUCHERRY (PONDICHERRY)	---	Puducherry/Pondicherry (UA)
28.	PUNJAB	---	Amritsar (UA), Jalandhar (UA), Ludhiana (M. Coprn.)
29.	RAJASTHAN	---	Bikaner (M.Corpn.), Jaipur (M.Corpn.), Jodhpur (UA), Kota (M.Corpn.), Ajmer (UA)
30.	SIKKIM	---	---
31.	TAMIL NADU	Chennai (UA)	Salem (UA), Tiruppur (UA), Coimbatore (UA), Tiruchirappalli (UA), Madurai (UA), Erode (UA)
32.	TRIPURA	---	---
33.	UTTAR PRADESH	---	Moradabad (M.Corpn.), Meerut (UA), Ghaziabad*(UA), Aligarh(UA), Agra (UA), Bareilly (UA), Lucknow (UA), Kanpur (UA), Allahabad (UA), Gorakhpur (UA), Varanasi (UA), Saharanpur (M.Corpn.), Noida* (CT), Firozabad (NPP), Jhansi (UA)
34.	UTTARAKHAND	---	Dehradun (UA)
35.	WEST BENGAL	Kolkata (UA)	Asansol (UA), Siliguri (UA), Durgapur (UA)

* Only for the purpose of extending HRA on the basis of dependency.

NOTE

The remaining cities/towns in various States/UTs which are not covered by classification as "X" or "Y", are classified as "Z" for the purpose of HRA.
